

01

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)
संख्या - 17-स्था0(कार्मिक)-83/2007...1203

प्रेषक,

मिथिलेश मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सामान्य प्रशासन विभाग
प्राप्ति
R337(i)me
08 JUL 2015
सं०.....

सेवा में,

प्रधान सचिव-सह-सदस्य,
उच्चस्तरीय समिति,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना - 7

पटना, दिनांक :- 07/07/15

U.S.D.
H.L.C.

विषय :- समिति के समक्ष संविदा पर नियोजित कर्मियों से संबंधित मामले की सूचना
उपलब्ध कराने के संबंध में।

महासचिव,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके पत्रांक 002, दिनांक 19.05.15
के द्वारा मांगी गयी बिन्दुवार सूचना संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार की जाए।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

S10-407
09/6/15

97M.940
PE scan Duprom
Con
9/7

विश्वासभाजन

08/7/15

(मिथिलेश मिश्र)
निदेशक

1.	प्रत्येक पद जिसपर नियोजन किया गया है का पदनाम	निम्नवर्गीय लिपिक
2.	पदवार कुल नियोजित कर्मियों एवं कुल कार्यरत कर्मियों की संख्या	निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर संविदा के आधार नियोजित कर्मी-1 एवं कुल कार्यरत कर्मी-1
3.	किस योजना/परियोजना इत्यादि के लिए यह नियोजन किया गया था तथा क्या यह योजना केन्द्रिय या राज्य की योजना थी	स्थायी रूप से स्वीकृत पद के विरुद्ध
4.	नियोजन का पद किस श्रेणी का है (समूह-'ग' या 'घ')	समूह - 'ग'
5.	क्या यह पद स्वीकृत था? अगर हो तो स्वीकृत्यादेश/पद सृजन आदेश	हाँ
6.	क्या प्रत्येक बार का नियोजन रिक्ति के विरुद्ध हुआ था अथवा नहीं?	रिक्ति के विरुद्ध हुआ है।
7.	नियोजन हेतु प्रकाशित विज्ञापन/नोटिस इत्यादि की छायाप्रति (प्रत्येक पद के लिए जितने बार नियोजन किया गया है, उन सब की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाए)	निदेशालय पत्रांक-2016 दिनांक 14.11.2013 (छायाप्रति संलग्न)
8.	नियोजन हेतु चयन की प्रक्रिया	जिलाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला चयन समिति, पटना के द्वारा चयनित एवं अनुशंसित।
9.	पदवार निर्धारित न्यूनतम अहर्ता	इंटर/समकक्ष, कम्प्यूटर सक्षमता तथा आयु सीमा न्यूनतम-18 वर्ष
10.	क्या नियोजित कर्मी वांछित पदीय अहर्ता रखते थे अथवा नहीं	नियोजित कर्मी सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग के सेवानिवृत्त कर्मी हे।
11.	नियोजन के समय आरक्षण अधिनियम का पालन हुआ है अथवा नहीं	हाँ
12.	नियोजन हेतु नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी	निदेशक, मू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना
13.	उपर्युक्त नियुक्ति/नियोजन पदाधिकारी को नियोजन की तिथि को इस प्रकार के नियोजन की शक्ति प्रदत्त थी अथवा नहीं	हाँ
14.	नियोजन पत्र/अनुबंध पत्र का नमूना (प्रत्येक पद पर प्रत्येक बार की नियोजन प्रक्रिया के लिए)	नियोजन पत्र की छायाप्रति (अनुबन्ध की छायाप्रति)।
15.	प्रथम नियोजन के समय निर्धारित नियोजन अवधि	छः माह।
16.	प्रत्येक सेवावधि विस्तार हेतु निर्धारित मानक	नियमित नियुक्ति न हो पाना।
17.	प्रत्येक सेवावधि विस्तार आदेश का नमूना	सेवा अवधि विस्तार (आदेश सं०-1660 दिनांक 07.11.2014 की छायाप्रति)।
18.	प्रत्येक पदवार मानदेय/पारिश्रमिक/वेतन/consolidated Pay इत्यादि की भुगतान राशि	11,340/- (ग्यारह हजार तीन सौ चालीस रुपये मात्र)
19.	जिस शीर्ष/मद से भुगतान हो रहा है, उसकी विवरणी	मानदेय व्यय मुख्य बजट शीर्ष-2029-मू-राजस्व उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-103-मू-अभिलेख --उप शीर्ष-0001-मू-अभिलेख स्थापना के व्यवसायिक एवं विशेष सेवा इकाई सं०-28 01, विपत्र कोड सं०-2029001030001, मांग सं०-40 के अन्तर्गत विकलनीय है।
20.	जिस नियमावली/संकल्प/परिपत्र के अन्तर्गत इन पदों पर नियोजन की प्रक्रिया हुई है, उनकी छायाप्रति (मूल एवं सभी संशोधनों के साथ)	सा०प्र०वि० के संकल्प सं०-16899 दिनांक 21.10.2013

****ज्ञापन/प्रतिवेदन के साथ प्राप्त सभी अनुलग्नक कार्यालय में Hard Copy में संधारित है।**